प्र.सं. 66/17 श्रीमती अम्बाबाई बनाम लेलापत के बजाय बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम बासड़ा के निवासी होकर वाद पत्र की कलम संख्या 1 में प्रस्तुत सजरे अनुसार मूलपुरूश भीमराज उर्फ भीमा थे, जिनके 5 पुत्र खेमराज, देवराम, लेलापत, जसराज व चुन्नीलाल हुए। खेमराज लाऔलाद फोत हो गया, जबकि जसराज गोद चला गया। देवराम की मृत्यु हो चुकी है, जिसे दो पुत्र भंवरलाल व भाान्तिलाल हुए। भंवरलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 अम्बाबाई है। लेलापत व चुन्नीलाल जीवित होकर वादीगण हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रृक सम्पत्ति ग्राम बामणिया एवं ग्राम बांसड़ा में स्थित है, जिसका वर्णन वाद पत्र के परि ।श्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' ''घ'' एवं ''ङ'' में किया जाकर उसमें अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान का हिस्सा है। परि ।श्ट ''घ'' की आराजी नंबर 490 रकबा 19 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, 1/3 हिस्सा वादीगण के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज है। मदनलाल पिता उंकार की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय से 1/3 हिस्सा वादी चुन्नीलाल का है तथा 1/6 हिस्सा वादी लेलापत का है। अतः वाद के परि ।श्टों में वर्णित हिस्से अनुसार विवादित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा परि ।श्ट ''घ'' की आराजी नंबर 490 रकबा 19 बिस्वा में वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोशित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां कायम की गयी एवं अपने निर्णय दिनांक 18.11.2013 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्प चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 02.06.2014 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13.06.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री हुक्मीचन्द सांगावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवारा सूची सही मानकर अंतिम डिक्री जारी कर दी है, जबकि ग्राम बामणिया की भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा उसके स्वतंत्र रूप से दर्ज नहीं किया गया है एवं अपीलान्ट की भूमि रेस्पोन्डेन्ट के नाम अंकित कर दी गयी है। बंटवारा सूची बनाते समय अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है एवं उनकी अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गयी है। मौके पर न तो तहसीलदार आये एवं न ही उनके प्रतिनिधि। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाशक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रारम्भिक डिक्री आपसी राजीनामा एवं हिस्से व कब्जे अनुसार जारी की गयी है, जिसकी पालना में उप तहसीलदार भीण्डर ने उभयपक्षों की उपस्थिति में कब्जे व हिस्से अनुसार बंटवारा सूची तैयार की है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि फर्द बंटवारा अपीलान्ट की अनुपस्थित में पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है, ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 123/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तहसीलदार भीण्डर द्वारा तैयार किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवारे पर उभयपक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर